न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

वाद सं०–एम 40 / 2017

धारा–107 दण्ड प्रक्रिया संहिता

चन्द्रमोहन प्रजापति वगैरह..... प्रथम पक्ष

बनाम

मुचीराम प्रजापति वगैरह.....द्वितीय पक्ष

आदेश की क्र० सं० एवं तारीख	आदेश	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
13/11/2017	प्रस्तुत वाद थाना प्रभारी, राहे ओ०पी० के अप्राथमिकी सं०–08 / 2017 दिनांक–22 / 03 / 2017 के द्वारा प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन के तहत द०प्र०सं० की धारा–107 के तहत उभय पक्षों के बीच कार्यवाही प्रारंभ की गयी है। सोनाहातु राहे ओ०पी० थाना काण्ड सं०–08 / 17 दिनांक–19 / 03 / 2017 धारा–323 / 341 / 378 / 34 भा०द०वी० को लेकर उभय पक्ष में तनाव है। प्रस्तुत वाद में दोनों पक्षों की ओर से कारण पृच्छा दाखिल की गई है। दोनों पक्षों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का खण्डन करते हुए एक दूसरे पर शांति भंग करने का आरोप लगाया है। यह वाद उभय पक्ष में जमीनी विवाद को लेकर हुए आपसी झगड़े के कारण उत्पन्न हुआ है। **<u>प्रथम पक्ष गवाही</u>–** प्रथम पक्ष की ओर से गवाह सं०–01 गंगाधर प्रजापति ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि मैं उभय पक्ष को जानता हूँ विवाद जमीन को लेकर है, उक्त जमीन प्रथम पक्ष के लोगों का खतियानी जमीन है, खतियान भरथू कुम्हार के नाम पर है, चन्द्रमोहन के भरथू कुम्हार पिताजी है। विवादित जमीन को द्वितीय पक्ष के लोग कब्जा करना चाह रहे हैं। घटना की तिथि 04 / 05 / 2017 की है। 18 / 09 / 2017 को भी घटना हुई थी जिसे मैंने सुना था। मैंनें सुना था कि यशोदा देवी के साथ मारपीट छिनतई हुआ था। जब से केस हुआ है उभय पक्ष में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है लेकिन तनाव है। गवाह सं०–02 चन्द्रमोहन प्रजापति (पार्टी गवाह) ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि विवाद जमीन को लेकर है। विवादित जमीन राहे मौजा में हैं खाता नं०–201, प्लॉट नं०–535, 2 डी० में विवाद है। इस प्लॉट का कुल रकवा 22 डी० है। घटना की तिथि–22 / 03 / 2017 है। उक्त तिथि को द्वितीय पक्ष के लोग विवादित जमीन पर शौचालय बना रहे थे मैंनें मना किया तो द्वितीय पक्ष माना नहीं एवं जबरजस्ती शौचालय बनाया तथा मुझे मार के फेंक देने की धमकी भी दिया। मैंने घटना की सूचना थाना को दिया। केस होने के बाद उभय पक्ष में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है लेकिन लड़ाई झगड़ा होने का 95 प्रतिशत संभावना है। मेरे न्यायालय से निकलने पर शंभू प्रजापति के द्वारा मुझे एक थप्पड़ मारने की संभावना है।	

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

द्वितीय पक्ष गवाही–

द्वितीय पक्ष की ओर से गवाह सं०–01 मधुसूदन प्रजापति ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि घेरा देने को लेकर केस हुआ है, घेरा वाला जमीन राहे मौजा में है, खाता नं०–96, प्लॉट नं०–543 एवं रकवा 49 डी० है। कुल 4 प्लॉट है–543, 544, 545 एवं 546। 96 खाता आर०एस० खतियान में शंभू के दादाजी के नाम से दर्ज है। द्वितीय पक्ष के लोग प्रथम पक्ष को घमकी चमकी नहीं दिए हैं। 18/09/16 को प्रथम पक्ष के साथ द्वितीय पक्ष एवं अन्य ने मारपीट एवं लूटपाट किया था, इसकी जानकारी नहीं है।

गवाह सं०–02 शंभू प्रजापति (पार्टी गवाह) ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि मेरा घेरा किया हुआ जमीन का प्लॉट नं०–546 है, रकवा 17 डी० है। 17 डी० जमीन में द्वितीय पक्ष का दखल कब्जा है। उक्त जमीन में हमलोग 60–70 साल से दखल में हैं। चन्द्रमोहन प्रजापति से मैं लड़ाई–झगड़ा नहीं किया हूँ। चन्द्रमोहन प्रजापति से हमलोग कोई छिनतई नहीं किए हैं हमलोग से प्रथम पक्ष को कोई जान माल का भय नहीं है। मेरा और प्रथम पक्ष का घर सटा हुआ है। प्रथम पक्ष ने हमलोगों से कहा है कि हमलोग प्रथम पक्ष के जमीन को दबा दिये हैं इसलिए यह विवाद है। हमलोग प्रथम पक्ष के जमीन पर कोई कब्जा नहीं किए हैं।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने, पुलिस प्रतिवेदन एवं प्रस्तुत गवाहों के बयान से स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष में जमीन को लेकर विवाद है। प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष पर मारपीट व छिनतई का आरोप लगाया है किन्तु इसे प्रमाणित करने के लिए सक्षम गवाह प्रस्तुत नहीं किए गए। प्रथम पक्ष के गवाह सं०–01 गंगाधर प्रजापति ने बयान दिया है कि मैंने सुना था कि यशोदा देवी के साथ मारपीट व छिनतई हुई थी। वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष शांति भंग होने की संभावना की पुष्टि नहीं कर पाए।

अतः वाद में बिना कोई प्रभावी आदेश पारित किए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

कार्यपालक दण्डाधिकारी ,
बुण्डू राँची।

3/11/17

कार्यपालक दण्डाधिकारी ,
बुण्डू राँची।